वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या : 287 /XVII(1)-01/2007-578(स.क.)/2002

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01. देहरादून, 26 सितम्बर 2007.

विषय : शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत आदिम जनजातियों के परिवारों को इन्दिरा आवास पैटर्न पर आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-807/XVII(1)-01/2007-578(स.क.)/2002, दिनांक 27 अगस्त 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित आदिम जनजातियों के परिवारों को इन्दिरा आवास पैटर्न पर आवास उपलब्ध कराए जाने की योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु रूपये 77,70,000/- (रूपये सतहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. **उक्त धनराशि का व्यय जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या-11022/15/2003-पी.टी.जी., दिनांक 05 मार्च 2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृत कार्यों पर तथा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए।**
2. **उक्त योजना में भारत सरकार से गत वर्ष प्राप्त धनराशि को पुनर्वैध कराने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र भी समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**
3. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

BHUWAN PANDEY

27 September 2007

6. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
8. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों तथा मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–794–जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–91–आदिम जनजाति यथा बुक्सा आदि हेतु विशेष योजना (100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) (जिला योजना)" की मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–412(P)/XXVII(3)/2007, दिनांक 26 सितम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :287 (1)/XVII(1)-01/2007–578(स.क.)/2002, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. सष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

27 September 2007